

डा.एल.—३३००२/९९

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED NO. D.L.—३३००२/९९

दिल्ली राजापत्र Delhi Gazette



सम्मेलन क्षयते

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 1999/पौष 8, 1921

DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 1999/PAUSA 8, 1921

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 303

[N.C.T.D. No. 303]

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1999

सं. फा. डी. एल. सी. (डब्ल्यू.)/लैब/बी.एल./97/526.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 23-3-1976 की अधिसूचना सं. 1/5/75-यू. टी.एल. के साथ पांचत बेधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उन्नत अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रथम रूप मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करते हैं :—

क्र. सं. नाम

1. श्री अजयी अख्तर
2. श्री अंजीम उल हक
3. श्री एस. बी. शशांक
4. श्री आर. सी. मीणा
5. श्री. एच. पी. एस. सरन
6. श्री जी. एल. मीणा
7. श्री आर. मोहन राव
8. श्री मनप्रीत सिंह पूर्णम
9. श्री चंद्रेन्द्र कुमार

क्षेत्राधिकार

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| राजस्व जिला—उत्तर | राजस्व जिला—केंद्रीय |
| राजस्व जिला—दक्षिण | राजस्व जिला—नई दिल्ली |
| राजस्व जिला—पश्चिम | राजस्व जिला—दक्षिण पश्चिम |
| राजस्व जिला—पश्चिम | राजस्व जिला—पूर्व तथा उत्तर पूर्व |
| राजस्व जिला—उत्तर पश्चिम | राजस्व जिला—उत्तर पश्चिम |
| रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली | |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम पर तथा उनके आदेश से, पीयूष शर्मा, अवर सचिव